



कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित मजदूरी दरें प्रभावी हो गई हैं, नई व्यवस्था के तहत औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दी गई है। इस प्रकार औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। इस अलावा सरकार ने पूरे देश के लिए 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, ताकि किसी भी राज्य या क्षेत्र में मजदूरी इससे कम न रहे।